रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA.

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 1980/वैशाख 9, 1902

No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 1980/VAISAKHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1980

सा०का०नि० 243(अ) .—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 1980 का प्रारूप भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 58(ई) दिनांक 23-2-1980 द्वारा भारत के दिनांक 23 फरवरी, 1980 के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3(i) में पृष्ठ 105-106 पर प्रकाशित हुआ था । उक्त अधिसूचना में इसके राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने तक, उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनको इनसे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और यतः उक्त राजपत्र 29 फरवरी, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ।

और किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) संशोधन नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नव मंगलौर पत्तन (अवतरण स्थानों के उपयोग का विनियमन) नियम, 1977 मे, नियम 2 में—

(1) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाए, अर्थात् :—

"(4)(क) भाड़ा, यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र या पट्टे में विनिर्दिष्ट रीति से देय होगा ।

(ख) किराये की अदायगी के लिए निर्दिष्ट तारीख तक यदि किराये का भुगतान करने में, अनुज्ञापत्र के मामले में सात दिनों से अनधिक और पट्टा धारी के मामले में 30 दिनों से अनधिक की चूक हो तो अनुज्ञापत्र धारक या पट्टाधारी जैसी भी स्थिति हो, किराये की बकाया राशि के अतिरिक्त चूक की अवधि के लिए बकाये की इकट्ठी राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगा ।

(ग) यदि चूक की अवधि अनुज्ञापत्र के मामले में सात दिनों और पट्टाधारी के मामले में 30 दिनों से अधिक हो तो, पट्टाकर्ता, अनुज्ञापत्र धारी या पट्टाधारी को जैसी भी स्थिति हो, कम से कम सात दिनों को लिखित

नोटिस देने के बाद, अनुज्ञापत्र या पट्टे के अंतर्गत उसे आवंटित भूमि पर पुनः अधिकार कर सकता है ।

(घ) भूमि पर इस तरह पुनः अधिकार करने के मामले में, अनुज्ञापत्र धारी या पट्टाधारी, जैसी भी स्थिति हो, इस तरह के पुनः अधिकार किए जाने पर किसी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होगा और न ही भूमि पर किए गए सुधारों को हटाने या ले जाने का हकदार होगा ।

(ङ) इस नियम के अंतर्गत किराये की बकाया राशि पर उस समय तक कोई भी ब्याज नही लगेगा जब तक कि अनुज्ञापत्र धारी या पट्टाधारी, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया जाए ।"

(2) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाए, अर्थात् :—

"(8) इन नियमों के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र या पट्टे का और अधिक अवधि के लिए नवीकरण अपेक्षित हो, तो इस संबंध में संबंधित व्यक्ति द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र या पट्टे की अवधि की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र की दशा में सात दिन और पट्टे की दशा में तीस दिन पहले अध्यक्ष को नया आवेदन किया जाना चाहिए ।

परंतु यह भी कि जब ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट अवधि के अंदर ऐसा नया आवेदन करता है, तो विद्यमान अनुज्ञापत्र या पट्टा, जैसी भी स्थिति हो, उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि नये आवेदन का विनिश्चय न कर दिया जाए ।"

[फा० सं० पी० जी० एल-80/77]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Port. Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1980

S.O. 243(E).—Whereas the draft of the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Amendment Rules, 1980, was published, as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at pages 105-106 of the Gazette of India, Extraordinary Part II section 3(i) dated 23 February, 1980, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 58(E) dated the 23 February 1980, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of that notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th February, 1980 ;

And whereas no objection and suggestions have been received from any person;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Regulation of the Use of Landing Places) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Port of New Mangalore (Regulation of the use of Landing Places) Rules, 1977,—

(1) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(4)(a) The rent shall be payable in the manner specified in the permit card or the lease deed, as the case may be.

(b) Any default, not exceeding seven days in the case of permit card and thirty days in the case of lease deed, in making payment of rent by the date on which it becomes due, shall make the permit card holder or the lessee, as the case may be, liable to pay, in addition to the amount of arrears rent, an interest at the rate of 15 per cent per annum on the accumulated arrears for the period of such default.

(c) In case the default exceeds seven days, in respect of permit card and thirty days in respect of lease deed, the lessor may, after giving a notice in writing of not less than 7 days to the permit card holder or the lessee, as the case may be, resume possession of the land allotted to him under the permit card or the lease deed.

(d) In the case of such a resumption of possession of land, the permit card holder or lessee, as the case may be, shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption of possessions or to remove and take away the improvements, if any, made by him on the land.

(e) No interest on arrears of rent under this rule shall be levied except after affording a reasonable opportunity of being heard to the permit card holder of lessee, as the case may be.";

(2) For sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) If the renewal of the permit issued or the lease entered into under these rules is required for a further period, a fresh application in this behalf shall be made by the person concerned, not less than seven days in advance in the case of permit and thirty days in advance in the case of lease, before the expiry of the period of validity of the said permit or lease to the chairman :

Provided that where such person makes such fresh application within the period so specified, the existing permit or lease, as the case may be, shall remain valid after the period of its validity on the existing terms and conditions, until such fresh application has been decided."

[File No. PGL-81/77]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.